# प्रेस नोट दिनांक-25.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

## थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, नगदी व वर्तन बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, व 02 अदद परात पीतल व 01 अदद हण्डा पीतल व चोरी का 4100/- रूपये नगद बरामद-

अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत चिचिहरा पुलिया के पास तिराहे से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 27.12.2025 को वादी निवासी ग्राम बबुरीगढ़ (गौहानी), जनपद प्रतापगढ़ एवं उनके भाइयों के विवाह संबंधी बर्तन एवं अन्य सामान चोरी हो गया। वादी का आरोप है कि जिस घर में चोरी हुई, वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों के पास ही उक्त घर की चाबियाँ रहती हैं तथा चोरी की सूचना भी इन्हीं द्वारा नहीं दी गई, जिससे वादी को उक्त व्यक्तियों द्वारा चोरी किए जाने का संदेह है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 003/2026 धारा 305(क) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री राजेन्द त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह का अमित कुमार यादव व का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 003/2026 धारा 305(क) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रविप्रकाश पुत्र स्व० हर्ष नारायण पाण्डेय निवासी बबुरीगढ़ गौहानी उम्र करीब 43 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत चिचिहरा पुलिया के पास तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद परात पीतल व 01 अदद हण्डा पीतल व चोरी का 4100/- रूपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने यह परात व हाण्डा अपने भाई के घर से चुराये हैं तथा अन्य सामान मैंने एक राहगीर को बेच दिया है यह उसी का पैसा है शेष पैसा खाने पीने में खर्च हो गये। आज मैं इस परात व हण्डा को आज अमेठी बेचने जा रहा था कि तभी आप लोगों ने हमको पकड़ लिया।

अभियुक्त का विवरण-

1- रविप्रकाश पुत्र स्व० हर्ष नारायण पाण्डेय निवासी बबुरीगढ़ गौहानी उम्र करीब 43 वर्ष।

बरामदगी-

01. 02 अदद परात पीतल बरामद,
02. 01 अदद हण्डा पीतल बरामद,
03. चोरी का 4100/- रूपये नगद बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह का अमित कुमार यादव व का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

## थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता के उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह का सुनील यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान केश न0 60/22 धारा 128 सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम सराय सुजान थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम सराय सुजान थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह का0 सुनील यादव थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 04 जिन्दा नाजायज देशी बम के साथ 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मुस्ताक अली उर्फ ननका जोगी पर जनपद रायबरेली व जनपद प्रतापगढ़ में हत्या का प्रयास, गोवध अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर अभियोग पंजीकृत हैं-
अभियुक्त को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत बड़ी बाजार सभागंज ग्राम सुल्तानपुर के पास से गिरफ्तार किये गये-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल, का0 राजेश पाल, का0 दर्वेश द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत बड़ी बाजार सभागंज ग्राम सुल्तानपुर के पास से 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मुस्ताक अली उर्फ ननका जोगी पुत्र भुईला उर्फ भुल्लन नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 55 वर्ष को 04 अदद जिन्दा नाजायज देशी बम के साथ गिरफ्तार किये गये।
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा नाजायज देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना मानिकपुर में मु0अ0स0 18/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अन्तर्जनपदीय गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-मुस्ताक अली उर्फ ननका जोगी पुत्र भुईला उर्फ भुल्लन नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 55 वर्ष ।

अन्तर्जनपदीय गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
01.मुस्ताक अली उर्फ ननका जोगी पुत्र भुईला उर्फ भुल्लन नि0 सुल्तानपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 55 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 70/13, धारा 5/8 उ0प्र0 गोवध नि0 अधि0, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 107/15, धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध नि0 अधि0, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 003/18, धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध नि0 अधि0, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।
04. मु0अ0सं0 680/22, धारा 401/307/34 भा0द0वि0, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।
05. मु0अ0सं0 18/25, धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 04 अदद जिन्दा नाजायज देशी बम ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल, का0 राजेश पाल, का0 दर्वेश थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अपहरण/दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अनिल कुमार को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 गौरव त्रिवेदी मय हमराह उ0नि0 सूबेदार राय, का0 वीरेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/64 (1) बीएनएस व 5j(ii)/6 पाक्सो एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र केदार नाथ निवासी भद्दीव मथुरा का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत लोहिया की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अनिल कुमार पुत्र केदार नाथ निवासी भद्दीव मथुरा का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 गौरव त्रिवेदी मय हमराह उ0नि0 सूबेदार राय, का0 वीरेन्द्र कुमार थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।